भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1368
09 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए नियत

"इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन"

1368. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए कोई चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमवी) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में इलैक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण में अपनी रुचि दर्शाने वाले अग्रणी ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं के नाम क्या है;

(घ) देश में ऐसे वाहनों का विनिर्माण करने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं; और

(ड़) इस संबंध में सरकार द्वारा इस प्रकार की कितनी पहल की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और (ख): जी हाँ। भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 6 मार्च 2019 के पत्रांक 12 (31)2017-ईईआई के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों, उनकी असेंबलियों /सब-असेंबलियों एवं /सब-पार्ट्स /और उसकी सब-असेंबलियों के इनपुटों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम अधिसूचित किया है (अनुबंध-I)।

तदुपरान्त, विभाग के 29 सितंबर, 2020 के पत्रांक 7(06) 2019-एनएबी-II (ऑटो) (20307) के माध्यम से फेम चरण-II के तहत मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए वाहनों की पात्रता हेतु इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड एक्सईवी पार्ट्स के लिए एक और पीएमपी (चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम) जारी किया गया है (अनुबंध-II) ।

(ग) : अब तक देश में फेम इंडिया स्कीम-।। के तहत,निम्नलिखित तैंतीस (33) मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) पंजीकृत हैं और इलेक्ट्रिक वाहन (ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया) का विनिर्माण कर रहे हैं:

1. महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड
2. टाटा मोटर्स लिमिटेड
3. काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सोल्युशंस लिमिटेड
4. एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
5. एंपीयर व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
6. ओकिनावा ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड
7. जितेंद्र न्यू ईवी टेक प्राइवेट लिमिटेड
8. चैम्पियन पोलिप्लास्ट
9. हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
10. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड
11. रिवोल्ट इंटेल्लिकोर्प प्राइवेट लिमिटेड
12. विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
13. ली-आयन्स इलेक्ट्रिक सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड
14. वाईसी इलेक्ट्रिक वीहिकल
15. बेस्ट वे एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड
16. टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड
17. बेनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड
18. एवोन साइकल्स लिमिटेड
19. गोएनका इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
20. एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
21. ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड
22. साएरा इलेक्ट्रिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
23. यूपी टेली लिंक्स लिमिटेड
24. खालसा एजेन्सीज
25. अतुल ऑटो लिमिटेड
26. मैसर्स तुनवल ई-मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
27. आल्टीग्रीन प्रोपल्शन लब्स प्राइवेट लिमिटेड
28. दिल्ली इलेक्ट्रिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
29. पियाग्गिओ व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
30. मेसर्स स्पीगो व्हीकल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
31. लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज
32. ओमेगा सिकी प्राइवेट लिमिटेड
33. कीटो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

(घ) : फेम इंडिया स्कीम के पहले चरण में, लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड और विद्युत वाहनों को लगभग 359 करोड़ रुपये की राशि के मांग प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन दिया गया। साथ ही, स्कीम के पहले चरण के तहत मंजूर की गई 425 विद्युत और हाइब्रिड बसें लगभग 280 करोड़ रुपये के सरकारी प्रोत्साहन के साथ देश में विभिन्न शहरों में तैनात हैं। भारी उद्योग विभाग ने फेम-इंडिया स्कीम के चरण-। के तहत भी लगभग 43 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचनाओं की मंजूरी दी थी।

फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। में, लगभग 148 करोड़ रुपये की राशि के मांग प्रोत्साहन के माध्यम से दिनांक 04.02.2021 तक लगभग 48,100 विद्युत वाहनों के लिए सहायता दी गई। साथ ही, स्कीम के चरण-।। के तहत विभिन्न राज्यों/नगर परिवहन उपक्रमों के लिये 6265 विद्युत बसों की मंजूरी दी गई। इसमें करीब 3000 करोड़ रुपये का सरकारी प्रोत्साहन भी शामिल है।

फेम इंडिया (भारत में हाइब्रिड और विद्युत वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) योजना के चरण-।। के तहत भारी उद्योग विभाग ने 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 नगरों में (लगभग) 500 करोड़ रुपये की राशि से 2,877 विद्युत वाहनों (ईवीज)के चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी है।

(ङ) : महोदय, भारत में विद्युत /हाइब्रिड वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिये भारी उद्योग विभाग 1 अप्रैल, 2015 से भारत में (हाइब्रिड और) विद्युत वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम को प्रशासित कर रहा है। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। को 10,000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

देश में विद्युत मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कई पहलें की जा रही हैं। उनमें से कुछ का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) विद्युत वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। विद्युत वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वाहनों की चार्जिंग के लिए 'सेवा' के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में आकर्षक निवेश के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

(iii) सरकार ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के सां.आ. 5333 (अ) के तहत बैटरी-चालित यातायात वाहनों और ईथेनॉल और मिथेनॉल इंधनों से चलने वाले यातायात वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट दी है।

(iv) वर्ष 2019-20 के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने विद्युत वाहनों की खरीद के लिए प्राप्त ऋण पर देय ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट उपलब्ध कराने के प्रावधान की घोषणा की।

(v) विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिये, भारत सरकार ने वाहनों को हाइब्रिड विद्युत प्रणाली अथवा विद्युत किट के रेट्रो फिटमेंट के लिये अधिसूचित किया है और विद्युत हाइब्रिड वाहनों की टाइप अनुमोदन प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया है।

(vi) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 4.0 किलोवाट तक के गियरलैस ई-स्कूटरों/बाइकों के लिए 16-18 वर्ष की आयु वालों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी कुछ विनिर्देशों को अधिसूचित किया है।

(vii) निजी और वाणिज्यिक भवनों में विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को प्रदान करने के लिये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना नियमन और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

****

अनुबंध -I

फा. सं. 12(31)/2017-एइआई

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

दिनांक : 06 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी एसेंबलियों/ सब-एसेंबलियों और उनकी सब एसेंबलियों के पुर्जों / उप-पुर्जों / इनपुट के स्वदेशी विनिर्माण को बढावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग की दिनांक 06 मार्च, 2019 की समसंख्यक अधिसूचना की एक प्रति, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी एसेंबलियों/सब- एसेंबलियों और पुर्जों/उप-पुर्जों के घरेलू विनिर्माण को बढावा देने हेतु चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया है, सूचनार्थ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नक: यथोक्त

(अजय कुमार गौड़)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23061340

सेवार्थ -

1. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. सचिव, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली।
10. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली।

<u>प्रति:</u>

1. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमाबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम), नई दिल्ली।
2. सोसाइटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीक्ल्स, नई दिल्ली।
3. ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए), नई दिल्ली।

फा. सं. 12(31)/2017-एइआई
भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

दिनांक : 06 मार्च, 2019

<u>अधिसूचना</u>

विषय : इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी एसेंबलियों/सब-एसेंबलियों और उनकी सब-एसेंबलियों के पुर्जों/उप-पुर्जों/इनपुट के स्वदेशी विनिर्माण को बढावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)।

भारत सरकार ने वर्ष 2011 में नेशनल मिशन ऑन इनेक्ट्रिक मोबिलिटी को अनुमोदित किया और तत्पश्चात् वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 की शुरूआत की गई। इस मिशन के भाग के रूप में, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारी उद्योग विभाग ने अप्रैल, 2015 में एक योजना नामत: फेम इंडिया को अधिसूचित किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढावा देने के लिए अधिसूचना सं. 30/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 के माध्यम से, इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी एसेंबलियों/ सब-एसेंबलियों और उनकी सब-एसेंबलियों के पुर्जों/ उप-पुर्जों पर आधारिक सीमा-शुल्क और जीएसटी को कम किया गया तथा युक्तिसंगत बनाया गया। इससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआत को प्रोत्साहन मिला।

2. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और अधिक प्रोत्साहित करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वदेशी विकास को बढावा देने के लिए सरकार ने अपनी हाल ही की अधिसूचना सं. 03/2019 - सीमा शुल्क, दिनांक 29 जनवरी, 2019 के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी एसेंबलियों/ सब-एसेंबलियों और सब-एसेंबलियों के पुर्जों/उप-पुर्जों/इनपुट पर आधारिक सीमा शुल्क को और कम कर दिया है तथा युक्तिसंगत बना दिया है।

3. इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण के बढावा देने के लिए, देश में विनिर्माण पारितंत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक चरण्बद्ध विनिर्माण खाका तैयार किया गया है जिसमें श्रेणीकृत शुल्क व्यवस्था के माध्यम से, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी एसेंबलियों/ सब-एसेंबलियों और सब-एसेंबलियों के पुर्जों/उप-पुर्जों/इनपुट के स्वदेशी विनिर्माण को बढावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के अंदर मूल्यवर्धन तथा क्षमता निर्माण को पर्याप्त रूप से बढाना है।

4. निम्नलिखित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम(पीएमवी) को इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी एसेंबालियों/सब-एसेंबलियों और सब-एसेंबलियों के पुर्जों/उप-पुर्जों का घरेलू विनिर्माण विकसित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है जिसके फलस्वरूप घरेलू मूल्य संवर्धन होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीएमपी से इस क्षेत्र के विनिर्माता देश में एक मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन और संबद्ध सब-एसेंबली/ घटक विनिर्माण आधार की स्थापना के लिए अपने निवेशों की योजना बना सकेंगे।

क्र.सं.	मद विवरण		वर्तमान बीसीडी 31.01.2019 से	चरणबद्ध विनिर्माण प्रस्ताव	
				प्रस्तावित बीसीडी	पीएमपी की प्रस्तावित तारीख़
1.	सीबीयू	बस (एचएस 8702) तथा ट्रक (एचएस 8704)	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	
2.	एसकेडी	पीवी (एचएस 8703) तथा 3डब्ल्यू (एचएस 8703/8704)	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	अप्रैल 2020 से
		2डब्ल्यू (एचएस 8711)		25 प्रतिशत	
		बस (एचएस 8702)		25 प्रतिशत	
		ट्रक (एचएस 8704)		25 प्रतिशत	
3.	सीकेडी	बस (एचएस 8702)		15 प्रतिशत	
		पीवी (एचएस 8703) 2डब्ल्यू (एचएस 8711) 3डब्ल्यू (एचएस 8703/8704) तथा ट्रक (एचएस 8704)	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	
4.	इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन एक्युमुलेटर विनिर्माण में उपयोग हेतु लिथियम आयन सेल्स (एचएस 85076000)		5 प्रतिशत	10 प्रतिशत	अप्रैल 2021 से
5.	इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में उपयोग हेतु बैटरी पैक (एचएस 8507)		5 प्रतिशत	15 प्रतिशत	
6.	इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विनिर्माण में उपयोग हेतु पुर्जे • एसी अथवा डीसी चार्जर • एसी अथवा डीसी मोटर • एसी अथवा डीसी मोटर कंट्रोलर • पावर कंट्रोल यूनिट (इन्वर्टर, एसी/डीसी कन्वर्टर, कंडेंसर) • एनर्जी मॉनीटर • कांट्रैक्टर • रिकवरिंग के लिए ब्रेक सिस्टम • इलेक्ट्रिक कम्प्रेसर		0 प्रतिशत	15 प्रतिशत	अप्रैल 2021 से

इसे राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13 फरवरी,2019 के पत्रांक 354/47/2018-टीआरयू के माध्यम से परामर्श से और मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(प्रवीण एल. अग्रवाल)
संयुक्त सचिव

अनुबंध -।।

फा.सं. 7(06)/2019-एनएबी-।।(ऑटो) (20307)
भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 29 सितम्बर,2020

सेवार्थ,

फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। के अंतर्गत अधिसूचित सभी परीक्षण एजेंसियां

विषयः फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। के अंतर्गत पात्रता हेतु एक्सईवी पुर्जों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)

महोदय/महोदया,

उक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29 मार्च,2019, 29 अप्रैल, 2019 और 13 मई,2020 के पूर्व के पत्रांक 7(06/2019-एनएबी ।। (ऑटो) का अधिक्रमण करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा फेम इंडिया स्कीम, चरण-।। के अंतर्गत पात्रता हेतु एक्सईवी पुर्जों के लिए पुनरीक्षित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को सभी परीक्षण एजेंसियों की सूचना और आवश्यक अनुपालन हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(थंग लियन लाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नकः यथोक्त

[फा.सं. 7(06)/2019-एनएबी-।।(ऑटो)(20307), दिनांक 29.09.2020 का एनक्लोजर]

सं.	श्रेणी मद विवरण	ई-दुपहिया एल-1 और एल-2	ई-तिपहिया ई-रिक्शा और ई-कार्ट	ई-तिपहिया एल-5	ई-चौपहिया एम-1	ई-चौपहिया एन-1	ई-बस एम-2/एम-3
1	एचवीएसी	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	ख	ख	ङ
2	इलेक्ट्रिक कम्प्रेसर	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	ङ	ङ	ङ
3	पावर एंड कंट्रोल वायरिंग हार्नेस के साथ कनेक्टर	क	क	क	ख	ख	ङ
4	एमसीबी/सर्किट ब्रेकर/इलेक्ट्रिक सेफ्टी उपकरण	क	क	क	ङ	ङ	ङ
5	एसी चार्जिंग इनलेट टाइप-2	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	ङ	ङ	ङ
6	डीसी चार्जिंग इनलेट सीसीएस-2/चाडेमो	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	ङ	ङ	ङ
7	डीसी चार्जिंग इनलेट बीईवीसी डीसी 001	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	ङ	ङ	अनुप्रयोज्य नहीं
8	ट्रैक्शन बैटरी पैक	क*	क*	क*	क*	क*	ङ
9	हब मोटर के साथ एकीकृत व्हील रिम	ङ	ख	ङ	ङ	ङ	ङ
10	डीसी-डीसी कन्वर्टर	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ
11	इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ
12	व्हीकल कंट्रोल इकाई	ङ	ख	ङ	ङ	ङ	ङ
13	ऑनबोर्ड चार्जर	ङ	ख	ङ	ङ	ङ	ङ
14	ट्रैक्शन मोटर	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ
15	ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर/इन्वर्टर	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ
16	इन्स्ट्रूमेंट पैनल	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ	ङ
17	लाइटिंगः हेडलैंप, टेललैंप, इंडिकेटर्स, इंटीरियर लैंप, फ्लैशर आदि	ङ	क	क	ङ	क	क
18	बॉडी पैनल	ङ	क	क	ङ	क	क

नोटः ट्रैक्शन बैटरी पैक की असेम्बलिंग स्वदेश में की जाएगी जिसके लिए बैटरी सेल्स और संबद्ध थर्मल तथा बैटरी प्रबंधन प्रणाली का आयात किया जा सकता है।

- उपर्युक्त के अलावा अन्य सभी पुर्जे, संघटक, असेम्लियां और उप-असेम्बलियां स्वदेश में विनिर्मित और असेम्बल होनी चाहिए। सीएमवीआर अधिसूचित सुरक्षा संघटक का परीक्षण सीएमवीआर,1989 के नियम 126 के अंतर्गत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए।

परिभाषाएं	
कोड	एक्सईवी के स्वदेशीकरण की प्रभावी तारीख़
क	01 अप्रैल,2019 से
क*	01 जुलाई,2019 से
ख	01 अक्टूबर,2019 से
ग	01 अप्रैल,2020 से
घ	01 अक्टूबर,2020 से
ङ	01 अप्रैल,2021 से
आयातित स्रोत में प्रत्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष आयात भी शामिल हैं। **स्वदेशी स्रोत** का अर्थ स्वदेश में विनिर्मित/असेम्बल्ड और परीक्षित से है।	

****